

स्मृति-पत्र

प्रेषक
उपेन्द्र कुमार,
जनपद न्यायाधीश,
झाँसी।

सेवा में

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक

114 / XV

झाँसी।

दिनांक- जनवरी १२, 2018

सन्दर्भ- जनपद न्यायालय, झाँसी का पत्रांक- 3305 / पन्द्रह दिनांक 12.12.2016

विषय- श्रीमती मनोषा एवं श्री नरेन्द्र पाल राणा दोनों पति-पत्नी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा पृथक-पृथक रूप से आवेदित पेट्रोल व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से यह दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया था कि एक ही जनपद में कार्यरत पति-पत्नी न्यायिक अधिकारीगण को, माननीय शेटटी आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार, पृथक-पृथक रूप से 50 लीटर पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना चाहिए योनित है अथवा नहीं।

इसी क्रम में निवेदन करना है कि वर्तमान में इस न्यायिक अधिष्ठान में श्रीमती मनोषा एवं श्री नरेन्द्र पाल राणा दोनों पति-पत्नी, न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जिनको उक्त प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से उक्त विषयांकित प्रकरण में दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त होना आवश्यक है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम आवश्यक दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त कराने का कष्ट करें, जिससे कि विषयांकित प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही असल में लाई जा सके।

सम्मान सहित !

भवदीय,

Regd(B)

W.D.'s

(1)
SN

26 Jan 2018

DRUG

Regd(B)
29/1/18

(Upendra Kumar)
(उपेन्द्र कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
झाँसी।
जिला जज
झाँसी (उ०प्र०)

(A2)
20.1.06

01/01/2006, 12:10

0522-2239268

SECV APPT & KARMIK

PAGE 01

संख्या-6058 / दो-4-05-45121/91 टी.सी.

प्राप्तका,

वीपक विशेषी,

रुमा,

उत्तर प्रदेश सरकार।

लिखा में,

गुरुदीपरामी,

अमृत नदीपालसर,

उत्तराधिकार।

वित्त अनुभाग-4

लिखानक: दिनांक: 27 जनवरी, 2006

घिष्ठा: - प्रथम राष्ट्रीय व्यायामिक वेतन अधिकार (शेषटी आयोग) द्वारा को वैशी संस्थानि एवं वास कम में ना० सर्वोच्च व्यायामान्य द्वारा रिट आयोग राष्ट्रीय-1022/1989 अल इण्डिया जनेश पलोसिंधार एवं अपने बानान चूमियन इण्डिया ल भव्य में दिनांक-21 नार्म, 2002 एवं उपर इण्डिया ल भव्य में दिनांक-06.12.2005 को परिम अवेश के संदर्भ में उ० प्र० राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर व्यायिक सेवा के सदस्यों को अत्ते/सुधिष्ठाएँ प्रदान किया जाता।

समोदर्श,

मुझे यह घाणों का निवेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय व्यायिक वेतन अधिकार (शेषटी आयोग) द्वारा को वैशी संस्थानि तथा उस कम में ना० उच्च न्यायाम्य द्वारा रिट आयिका संज्ञा-1022/1989 अल इण्डिया जनेश पलोसिंधार एवं अन्य बजान चूमियन शाफ़ इण्डिया एवं अन्य ले दिनांक-21 नार्म, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 को परिम अवेश के संदर्भ में इण्डियानुसार प्रदत्ते/कुमियाएँ अनुमत्य प्रिये वालों की रवीष्टि राज्यपाल मठोदय द्वारा सहज प्रदान को वैशी है:-

1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भवता

(1) प्रत्येक जिला जाज, जिला जाज स्तर के लघुदाद व्यायामी, विरुद्धतान अंतिरिक्ष जिला जाज तथा नुस्ख व्यायिक/महानगरीय नियमित, को एक स्थतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपरोक्त के अंतिरिक्ष पूल्ज कार की सुविधा के अन्तर्गत ५ व्यायिक अधिकारियों को भव्य १ पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिए महानगरीय शहरों में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर एटोल नायिक की शीर्षा देना अनुमत्य होगा।

(3) जिवा व्यायिक अधिकारियों के पारा अपना निजी वाहन है, उन्हें नियमानुसार ऐटोल/डीजल देख भोगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रगाणक वे आधार पर की जायेगी:

| | |
|-------------------------|---|
| शहर/स्थान की शेषी | अनुमत्य ऐटोल/डीजल की अंकितस्प भावा (लीटर में) |
| ए शेषी ५-१ क्रमी के शहर | 75 |
| जिला नुस्खतान | 50 |

..2-

-2-

नोट- जिन क्यारिंग अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन के तापा दें उपरोक्तामुख्य एट्रोल/झीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प खुलते हैं, उन्हें मूल कार की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। पूल कारों की "आवश्यकता" का आवंटन राष्ट्रमुख्य ही किया जायगा।

(4) जिन क्यारिंग अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साफ़िल है उन्हें प्रतिनाम 25 एस्ट्रोल देय की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय-प्रभावक के आधार पर की जायेगी।

2. **अतिथि सत्त्वार भत्ता**
क्यारिंग अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमत्य होगा:-

| क्र० | स० | क्यारिंग अधिकारी की शेणी | भारिंग भत्ता (रुपये में) |
|------|----|------------------------------|--------------------------|
| 1. | | जिला जज/अपर जिला जज | 1000 |
| 2. | | सिद्धिनी जज(सीमिंग ब्रिडीजन) | 750 |
| 3. | | सिद्धिनी जज(जूनियर डिवीजन) | 500 |

3. **पोशाक भत्ता**
प्रत्येक क्यारिंग अधिकारी को 5 चर्च की अवधि में एक खार रु0-5000 की एक मुश्त राधि पोशाक भत्ता के रूप में देय की जाएगी। इस प्रदोषणार्थ प्रधान पांच वर्ष वाले अवधि 21 जारी, 2002 रो राह लागेगी।

4. **अन्नादाता पत्र/परिवेश**
प्रत्येक क्यारिंग अधिकारी को एक राष्ट्रीय राशा ८० क्षेत्रीय समाचार पत्र एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य ५० रु० प्रतिनाम से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वार्षिक के आधार पर की जाएगी।

दूरभाष सुविधा

5. प्रत्येक क्यारिंग अधिकारी के आपास पर्यायित्य भी आसक्तीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कांयालिय समाचार के सभी टेलीफोन एस.टी.डी. युपा. होगे, परन्तु आपास पर एस.टी.डी. की सुविधा के बल बचतर क्यारिंग टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा के बल बचतर क्यारिंग सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।

-3-

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शीमाओं के अनुसार¹
दिन: शुक्रवार काल, भी सुविधा भी अनुमत्य होगी:-

| क्रमांक | अधिकारी की श्रेणी | 2 माह के लिए निःशुल्क काल की सीमा | कार्यालय आवास |
|---------|--|---|---------------|
| 1 | सिंलां भज / सब्र न्यायाधीश | 3000 | 2000 |
| 2 | अतिरिक्त जिला जना / अतिरिक्त सब्र न्यायाधीश | 2000 | 1000 |
| 3 | सिविल जन्य (सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जूडीशियल / सकानियादीय अधिसद्वेट | 2000 | 1000 |
| 4 | सिविल जना (जूडीशियर डिवीजन) अधिसद्वेट | 1500 | 750 |

6. आवास पर तिष्ठा एवं जल शुल्क सभी प्रतिपूर्ति
न्यायिक अधिकारियों के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के सम्बन्ध में विदेशी गोदे शुगतान के 50 प्रतिशत के अनुमत्य अधिकारी 30-50% प्रतिशत की संतुष्टा सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी। यह प्रतिपूर्ति शुगतान किसे नाये विलों वा गोदे शुगतान पर प्रस्तुत करके पर देय होगी।

7. आवास/भकान किसाया भत्ता
समस्त न्यायिक अधिकारी अपनी पात्रता के अधार पर निःशुल्क सरकारी आवास, आवासित शिक्षानन्द, के हकदार होंगे। अरण्यार द्वारा उपायास उपलब्ध न होने की स्थिति में शास्त्र वे संगत भादेशों के अनुसार सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को भवान किसाया भत्ता देय होगा।

8. अतिरिक्त प्रभार भत्ता
न्यायिक अधिकारियों को विस्तीर्ण स्तरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी हस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का नियावद वहाँ है तो वह से अतिरिक्त प्रभार के पद के द्वेष्टनान के अनुमत्य के "10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमत्य होगा।

9. अवकाश अवादीकरण
न्यायिक अधिकारियों दो 2 वर्ष में एक भाव तक का अवकाश अवादीकरण लेने की सुविधा अनुमत्य होगी। ऐसी सुविधा लेने समय अवकाश लेने के लिए अधिकारी दो घास्य नहीं किया जायेगा। हस प्रतिजनार्थ प्रधान 02 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ नाली जायेगी।

Enclosure

-4-

10.

अत्याधिक अवधि सुविधा

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्यक्ष 4 वर्ष की अवधि में पक्ष प्रथम द्वारा उपलब्ध रहेंगी। अत्यक्ष द्वारा को प्रत्यक्ष कोणे के लिए 5 वर्ष की नियन्त्रक सेवा का उपभोग होगी तथा सेवानियन्त्रित के पक्ष ताक पूर्व से हस सुविधा का उपभोग होगी किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि ने इनके बृह-जनरल के लिए उपकाश द्वारा सुविधा प्राप्त की जाएगी। अत्यक्ष द्वारा सुविधा के लिए प्रथम 04 वर्ष की अवधि 21 जारी, 2002 से प्राप्त होगी जायेगी।

अपरोक्ष अवकाश भाँड़ा सुविधा हेतु ऐल/यासुयान की ओर से दाखिलात पात्रता की अपेक्षा शर्त स्थापित जानूर रहेगी,

11.

एक ग्राम स्थानान्तरण अवकाश

न्यायिक अधिकारियों को एकलाभक्षित छोड़े पर 20 किमी से न्यायिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक भाँड़ा की जूल घेतापा के प्रावधार द्वारा 20 किमी से कम की दूरी पर स्थानाभ्यासरण, जिसमें विवास स्थान वारंताव में परिवर्तित हो, की दशा में एक भाँड़ा के जूल घेतापा के एक तिहाई के बावधार दरारासी पर 50% स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमति होगा।

स्थिक्तसा प्रतिपूर्ति/स्थिक्तसा भवता

न्यायिक अधिकारियों द्वारा परिपार-गण को सरकारी अस्पतालों/शौषधानियों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा-प्रणाले द्वारा देने जरावरी अस्पतालों/शौषधानियों द्वारा स्थिक्तसालयों में स्थिक्तसा पर किये जाए ज्यद की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के लद्धिकार्यालय संघटा गिरन्माणों/आदेशों के अधीन अनुमत्य होगी, उसके अन्तर्गत प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को राप्ते 100 प्रतिमाल पर स्थिक्तसा भवता भी अलुम्बन्य होगा।

Permit
22. उपसुधत आदेश दिनांक 21 जारी, 2002 से प्रभारी नामों के लिए हम अत्तों/सुविधाओं को पूर्व की फिर्दी अपाधि लिए जायात्थाति नियंत्रक अधिकारी की सचिवालय, व्यव-प्रमाणक प्रस्तुत करने की जीजी विधारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत हम अत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

उपरोक्ष अत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में गारी किये गये आदेश तदनुसार अतिथिगित समझे जायेंगे।

-5-

0522-2239288

SECY APPT & KARMIK

(a)
PAGE 05

-5-

- 4- उपर्युक्त आदेश विज्ञा विभाग के अंतर्स्थलीय पर्याप्ति-जी-1-42/रस-06, दिनांक-जनवरी 20,2006 में प्राप्त उल्लंघन समझौते से निष्ठात किये जा रहे हैं।

अधिकारी,

(दीपक त्रिवेदी)

सचिव

प्रश्नांकन संख्या-6058(1)/दो-4-05. तात्पुरता:

प्रतिलिपि अन्तर्मितिमत एवं संभावार्थ तथा तात्पुरता आवश्यक कार्यवाही डेट्री प्रेसिव।

1. भरो राज्यपाल मंहोदय एवं प्रभुत्व उपर्याप्ति/सचिव
2. प्रभुत्व सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उप्र प्रो।
3. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उप्र प्रो नियमाला।
4. प्रभुत्व सचिव, विधाया, उप्र प्रो शासन।
5. समस्त कोषाधिकारी, उल्लंघन प्रदेश।
6. वित्ती (वित्तन-आयोग) अनुभाग-1/2 (लोग प्रतिच्छो जे)
7. बत्तार प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. समूक्षत नियेशक, शिविर खाचालय, कोषागार नियेशालय, अतीव कोषागार अवाल, अधाइरी रोड, हलाहालाद।
9. हरतापु चैक अनुभाव/हरतापु चैक (वेत्त-पत्ती प्रक्रिया।
10. महालीआवार (लोखा एवं छानवारी) 1 पां 2 तथा आविद 1 पां 2, उप्र डलाहालाद।
11. समस्त राज्यपाल व्यापारिश, उल्लंघन प्रदेश।
12. श्री प्रदीप रघुराम, उद्योक्त-आव-रिफ़ाइ. सुप्रीम कोर्ट लॉ फिल्म्स।
13. गार्ड काइल।

आझो से,

(रामीन्द्र भोजन)

अनु सचिव